संख्या -68/2025/491/35-4-2025/35-4099/38/2023

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बिजनौर।

नियोजन अनुभाग- 4 लखनऊ; दिनांक: 23 मई, 2025

विषय – जनपद बिजनौर में वित्तीय वर्ष 2025-26 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत अवशेष धनराशि की स्वीकृति किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत जनपद- बिजनौर की वि0स0 बढ़ापुर में शासनादेश संख्या-602/2023/1300/35-4-2023, दिनांक 31 मार्च, 2023 एवं संशोधित पत्र संख्या-610/2023/1308/35-4-2023, दिनांक 31 मार्च, 2023 द्वारा सड़क निर्माण से संबंधित 01 कार्य की रू0 302.12 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में रू0 151.06 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। तत्पश्चात शासनादेश संख्या-95/2024/279/35-4-2024/35-4099/38/2023, दिनांक 04 मार्च, 2024 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0 100.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। इस प्रकार अब तक कुल रू0 251.06 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

2- जिलाधिकारी वाराणसी के बिजनौर के पत्रांक-435/त्वरित आर्थिक विकास/2023-24, दिनांक 01 मई, 2025 एवं पत्रांक-151/त्वरित आर्थिक विकास/2023-24, दिनांक 18 फरवरी, 2025 द्वारा उक्त शासनादेशों से स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में अवमुक्त की गई धनराशि का व्यय होना इंगित करते हुये एवं टेन्डर की धनराशि का उल्लेख करते हुये अवशेष धनराशि की मांग की गयी है।

एतद्द्वारा उपर्युक्त शासनादेशों से स्वीकृत एवं बचत की धनराशि को समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि रू0 49.56 लाख (रूपये उन्चास लाख छप्पन हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

कार्य	अनुमोदित लागत	गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत की लागत	कार्य पूर्ण के पश्चात शुद्ध बचत	बचत के उपरान्त कार्य की कुल लागत	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त धनराशि
बेरखेड़ा से न्यादरी से रफैतपुर हुलास से मकसूदाबाद होते हुए सुआवाला मुख्य मार्ग तक मार्ग का निर्माण, लं0-5.700 किमी0	302.12	33.81	1.50	300.62	251.06	49.56

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

1. उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 31 मार्च 2023, दिनांक 31 मार्च 2023(संशोधित) एवं दिनांक 04 मार्च, 2024 की शर्तें यथावत लागू रहेगी।
2. प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।
3. परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक, डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्कतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
4. कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।
5. स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त, अनाहरित बचती है, तो उसे 31 मार्च, 2026 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2026 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
6. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0 प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2026 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
7. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2925, दिनांक 27 मार्च, 2025 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 49,56,000/- (रूपये उन्चास लाख छप्पन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 040 लेखाशीर्षक 5054043370303 ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरी सड़कों के लिये एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2925, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

संख्या-68/2025/491(1)/35-4-2025/35-4099/38/2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। (इलाहाबाद)
2. महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।(इलाहाबाद)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त ।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण / ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव /विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी ।
7. मंडलायुक्त, मुरादाबाद।
8. निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।
9. मुख्य विकास अधिकारी, बिजनौर ।
10. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बिजनौर।
12. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
12. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, बिजनौर ।
13. अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, बिजनौर ।
14. संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफारमेशन कमीशन, नियोजन विभाग।
15. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, नियोजन विभाग।
16. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।